

**बी.एस.एन.एल. चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अंतः चिकित्सा हेतु,
बी.एस.एन.एल. छत्तीसगढ़ परिमण्डल में मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों की वर्तमान स्थिति
(दिनांक 01.05.2014 तक की स्थिति में)**

क्रं.	एस.एस.ए.	निजी चिकित्सालयो का नाम	मान्यता की अवधि	चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा निम्नलिखित "नोट क्रमांक" के अनुसार प्रदान की जाएगी।
01	रायपुर	मित्तल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, रायपुर	27.01.2014 से 27.07.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
02.	रायपुर	श्री नारायणा हॉस्पिटल, देवेन्द्र नगर, रायपुर	23.04.2014 से 20.12.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
03.	रायपुर	श्री बालाजी हॉस्पिटल, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर	11.04.2014 से 10.04.2015 तक	"नोट क्रमांक 01"
04.	रायपुर	संजीवनी सी.बी.सी.सी. यू एस ए कैंसर हॉस्पिटल, रायपुर	06.02.2014 से 13.07.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
05.	रायपुर	श्री मेडिशार्इन हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर	01.12.2013 से 30.11.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
06.	रायपुर	एम.जी.एम. आई इन्स्टीट्यूट रायपुर	09.10.2013 से 08.10.2014 तक	"नोट क्रमांक 03"
07.	बिलासपुर	श्रीराम केयर हॉस्पिटल, बिलासपुर	20.11.2013 से 19.11.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
08.	दुर्ग	चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल दुर्ग	10.10.2013 से 09.10.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
09.	दुर्ग	जे.एल.एन. (बी.एस.पी.) हॉस्पिटल सेक्टर-9, भिलाई	अगामी आदेश तक	"नोट क्रमांक 02"
10.	अम्बिकापुर	होली क्रास हॉस्पिटल, अम्बिकापुर	03.07.2013 से 02.07.2014 तक	"नोट क्रमांक 01"
11.	रायगढ़	ओ.पी.जिन्दल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायगढ़ (छ.ग.)	01.04.2014 से 31.03.2015 तक	"नोट क्रमांक 01"
12.		उपरोक्त के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी सरकारी हॉस्पिटल		"नोट क्रमांक 02"

नोट क्रमांक 01 : बी.एस.एन.एल. चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत निगम कार्यालय के पत्र क्रमांक BSNL/ADMN/1 दिनांक 28.02.2003 के पैरा 4.0 के अनुसार हितग्राहियों को हॉस्पिटल में अंतः उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

नोट क्रमांक 02 : बी.एस.एन.एल. चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के हितग्राही, प्रचलित हॉस्पिटल दर पर हॉस्पिटल को नगद भुगतान कर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। हितग्राही के अंतः उपचार पश्चात्, संबंधित मुख्य हितग्राही (चिकित्सा परिचय पत्र धारक) द्वारा सभी औपचारिकताओं के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, दावे का निपटान सी.जी.एच.एस. द्वारा जबलपुर शहर के लिए की गई अनुमोदित दर पर किया जाएगा।

नोट क्रमांक 03 : बी.एस.एन.एल. चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के हितग्राही, प्रचलित हॉस्पिटल दर पर निर्धारित विशेष छूट प्राप्त कर हॉस्पिटल को नगद भुगतान कर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। हितग्राही के अंतः उपचार पश्चात्, संबंधित मुख्य हितग्राही (चिकित्सा परिचय पत्र धारक) द्वारा सभी औपचारिकताओं के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, दावे का निपटान सी.जी.एच.एस. द्वारा जबलपुर शहर के लिए की गई अनुमोदित दर पर किया जाएगा (बी.एस.एन.एल. निगम कार्यालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक BSNL/Admn.I/15-10/07 दिनांक 16.04.2010 की पैरा 01 के अनुसार)।